28/2/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम नांदोली के आ०नं 439 व 384 दिनांक 22.1.68 को प्रार्थी ने जगदीश पिता जयलाल से खरीदी की थी तब से प्रार्थी का कब्जा काश्त है। राजस्व कर्मचारियों व सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती से हाल सेटल्मेन्ट आ.न 676 रकबा 0-15 बीघा, आ०नं 1184/938 रकबा 0.70 हैक्ट०, आ.न. 1183/937 रकबा 0.34 हैक्ट० को जो बिलानाम सरकार कर दी जो गलत है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त भी है अतः प्रार्थी की आराजियात में राजस्व रेकर्ड से बिलानाम सरकार हटाकर प्रार्थी के नाम दुरुस्ती की जावे और अप्रार्थी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करावे। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि उक्त जमीन बिलानाम सरकार है तथा प्रार्थी का इस आराजियात में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज करमावे। हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राज० काश्तकारी अधिनियम [illegible] के स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर। नम्बर [illegible] कम हो [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

सही/- 28.2.24
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.27 11:26:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner